



भारत सरकार
Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Regional Office, Lucknow



केन्द्रीय भवन, ग्यारवां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 11th Floor, Sector H, Aliganj, Lucknow-226024, Phone No : 0522-2326696
Email : roc.lko-mef@nic.in, goimcoefrolko@gmail.com

पत्र सं० : 8बी/यू0पी0/06/303/2022/एफ.सी. 109

दिनांक : 17.04.2025

सेवा में,

अति० मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/ROAD/151936/2022

विषय: अयोध्या बाईपास (उत्तरी एवं दक्षिणी बाईपास) के 4/6 लेन के निर्माण में अयोध्या वन प्रभाग में प्रभावित 1.586 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 83 वृक्षों के पातन, बस्ती वन प्रभाग में प्रभावित 0.513 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 185 वृक्षों के पातन तथा गोण्डा वन प्रभाग में प्रभावित 0.381 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 51 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 2.48 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 319 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ: मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी का पत्रांक 2392/11-सी-FP/UP/ROAD/151936/2022, दिनांक 21.02.2025.
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक पी-344/81-2-2022-800(334)/2022, दिनांक 20.10.2022 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव में राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गयी थी।

प्रकरण में इस कार्यालय के सम-संख्यक पत्र दिनांक 03.06.2024 द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त संख्या 09 के अनुपालन में उचित दिशा-निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

प्रकरण को दिनांक 25.03.2025 को आहूत की गयी Fortnightly Regional Coordination Meeting (FRCM) की बैठक में सम्मिलित किया गया था। बैठक में विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-

1. NHAI representative to descope the Road side plantation from the Agreement with Concessionaire and the Road side plantation may be carried out through the State Forest department (SFDs) at the cost of user agency since the SFD have expertise in this field.

भवदीया,

(विजया रात्रे)

सहायक वन महानिरीक्षक (केंद्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा) :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. वन संरक्षक, अयोध्या, गोण्डा एवं बस्ती।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, अयोध्या, गोण्डा एवं बस्ती।
5. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार) परियोजना कार्यान्वयन इकाई, रायबरेली।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली

(विजया रात्रे)

सहायक वन महानिरीक्षक (केंद्रीय)